



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 138/ 2026

पंकज कुमार पाण्डेय

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिवम तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम तिवारी, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल तहलानी, और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 से 4 को ग्राम- करैया, तहसील- गौरीगंज, जिला- अमेठी में स्थित गाटा संख्या 427 (क्षेत्रफल 0.0390 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 390 (क्षेत्रफल 0.0150 हेक्टेयर) जो 'चकमार्ग' के रूप में दर्ज हैं, तथा गाटा संख्या 388 (क्षेत्रफल 0.0110 हेक्टेयर) जो 'नाली' के रूप में दर्ज है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, गौरीगंज, जिला- अमेठी द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। स्थलीय ज्ञापन और फोटोग्राफ की प्रति यह दर्शाती है कि अब प्रश्रुत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है और इसे हटा दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्देशों की प्रति अभिलेख पर ग्रहण की जाती है।

4. चूँकि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण हो चुका है, इसलिए याचिका में न्यायनिर्णयन के लिए कुछ भी शेष नहीं है, जिसे तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

12 मार्च, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)